



Bihar Mahadalit Vikas Mission

बिहार महादलित विकास मिशन



बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ

विकास मित्र :

महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समूह (शहरी) से बहुलता वाले महादलित जाति के एक-एक विकास मित्र का चयन किया गया है। विकास मित्रों के चयन में 50 प्रतिशत रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगस्त 2015 से विकास मित्रों को मानदेय के रूप में 10,000/- ₹ की राशि का भुगतान किया जा रहा है। विकास मित्रों की अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में विकास मित्र के आश्रित को 36 माह के वेतन के बराबर की राशि के अतिरिक्त 4 लाख की राशि दी जायेगी। (संकल्प संख्या-2940 दिनांक 24.08.2015) विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्रों का चयन अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जाता है। कार्य सुविधा एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रत्येक विकास मित्र को साईकिल उपलब्ध कर दी गयी है। विकास मित्रों को मोबाईल फोन SAAS (software as a service) application के साथ उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे विकास मित्र के प्रतिदिन के कार्य का अनुश्रवण किया जा सकेगा। समय-समय पर विकास मित्रों का क्षमतावर्धन किया जाता है। वित्तीय वर्ष-2010-11 से 2015-16 तक 9456 विकास मित्रों के मानदेय हेतु ₹363.52 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है।

सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड :

'सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड' योजना का उद्देश्य महादलित टोला में एक ऐसे भवन का निर्माण करना जहाँ महादलितों के सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की गतिविधियों का विकास हो सके। स्थल चयन योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। योजना के गुणवत्ता एवं प्रगति के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को दायित्व दिया गया है। सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण आधुनिक नक्शा के आधार पर कराये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक ₹232.24 करोड़ की राशि से 4795 सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण किया गया।



दशरथ माँझी कौशल विकास योजना :

महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्था/ गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है। चयनित संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर एकाउंटिंग टैली, डी.टी.एच. इन्सटॉलेशन, सिक्यूरिटी गार्ड, स्पोकेन इंग्लिश आदि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इस योजना के अतिरिक्त मिशन द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण

कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी को प्रति प्रशिक्षण दिवस ₹100 की वृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। योजना की पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन डाटा का संधारण किया जा रहा है। योजना को प्रभावी बनाने हेतु नये प्रशिक्षण में जियोटैग्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं CCTV को अनिवार्य किया गया है। विभिन्न 62 एजेंसियों से प्रशिक्षण हेतु करार किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में संचालित है। MES/NSDC के पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जा रहा है।

कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल 102.92 करोड़ रुपये की राशि का व्यय कर 179318 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

सामुदायिक रेडियो :

महादलित वर्ग के भागीदारी से कार्यक्रम तैयार कर इसे प्रसारित किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न भाषायी केन्द्रों पर लगभग 15 सामुदायिक रेडियो खोलने का प्रस्ताव है। 25 किलोमीटर के प्रसारण क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित किये जाएंगे। सामुदायिक रेडियो के केन्द्रों का स्वामित्व भी महादलित वर्ग के सदस्यों को ही हस्तगत किये जाने की योजना है। सामुदायिक रेडियो की स्थापना हेतु सात एजेंसियों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया गया है। योजनान्तर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, सारण, अरवल, पश्चिम चम्पारण, भोजपुर, कैमुर, सहरसा, रोहतास, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, बक्सर एवं नवादा में रेडियो स्टेशन स्थापना की प्रारंभिक तैयारी की जा रही है।

सामुदायिक रेडियो योजना के तहत वर्ष 2015-16 में कुल ₹0.41 करोड़ रुपये के लागत पर 19 स्टेशन की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

विशेष विद्यालय –सह– छात्रावास :

बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा विशेष विद्यालय –सह– छात्रावास योजना का कार्यान्वयन पटना एवं गया में गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था नारी गुंजन के माध्यम से कराया जा रहा है। पटना में 150 छात्राओं एवं गया में 100 छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन विशेष विद्यालय-सह- छात्रावासों में आवासीय व्यवस्था के साथ पारंपरिक शिक्षा एवं अपारंपरिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्राओं को संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला एवं अन्य परम्परागत कलाओं, कराटे इत्यादि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन शिक्षाओं के साथ-साथ उन्हें कम्प्यूटर की आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। विशेष विद्यालय-सह- छात्रावास योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल ₹4.56 करोड़ रुपये व्यय कर 1400 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

महादलित शौचालय निर्माण योजना :

स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और शौचालय की स्वच्छता के बीच काफी गहरा सम्बन्ध है। शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की स्वच्छता के अभाव में मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक रोगों का मुख्य कारण या तो जल जनित या मलमूत्र से संबंधित है। सम्पूर्ण राज्य को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने हेतु सभी परिवारों के लिये व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को ज्यादा कारगर बनाने एवं उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "लोहिया स्वच्छता योजना" प्रारम्भ की गई है। "लोहिया स्वच्छता योजना" के अन्तर्गत लाभार्थी को अपना अंशदान करना है। महादलित शौचालय निर्माण योजना के तहत महादलित परिवार को ₹900 (नौ सौ रु०) के लाभार्थी अंशदान का वहन मिशन द्वारा किया जाता है। मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के समाहरण से शौचालय निर्माण हेतु

